प्रकरण संख्या 06/2021 दिनेशचन्द्र व अन्य बनाम लक्ष्मीकान्त व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अन्तकालिया, तहसील घाटोल में खाता संख्या 33 वादी की माता श्रीमती केसरबाई तथा श्री हीरालाल पिता कचरू के संयुक्त खातेदारी में स्थित थी, जिसका पारिवरिक बंटवारा वर्ष 1975 के पूर्व होकर सर्वे नंबर 1, 2, 87, 374, 229, 212, 206, 159, 201, 202, 199, 198, 259, 245, 276, 299, 298, 398, 399, 177, 199, 200, 360, 363, 163, 164, 33, 247, 35, 161, 180, 236, 30, 32, 162 वादी की माता के हिस्से की कृषि भूमि थी, जिस पर वादी की माता काबिज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी काबिज होकर खातेदार कृषक है। उक्त साबिक सर्वे नंबर के नये नंबर 3, 6, 124, 527, 583, 591, 610, 653, 654, 655, 656, 731, 746, 780, 782, 836, 842, 956/649, 646/655, 651/938, 613–614, 616, 63–68, 742, 743, 67, 69, 611, 659–660, 701, 46–57, 60–61, 612, 615 बने। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज माणकलाल पिता हेतलाल ब्राहमण ने अनाधिकृत व अवैध रूप से मूल खातेदार वादी की माता को बिना सूचित किये दिनांक 03.07.1975 को सर्वे नंबर 163–164 को दुर्भावना से धारा 19 से अपने खातेदारी आदेश करा कर नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 21.06.1975 अपने नाम करा ली, जिस आदेश को माननीय उपखण्ड अधिकारी घाटोल द्वारा दिनांक 28.04.2014 को अवैध व अनाधिकृत घोषित करते हुए अपास्त कर दिया गया। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 7 से 8 के पूर्वज नारायण पिता नन्दराम सुथार ने सर्वे नंबर 63 व 68, 742 व 743 को तहसीलदार घाटोल ने धारा 19 के अन्तर्गत शिकमी बताते हुए दिनांक 03.07.1975 को खातेदार घोषित कर नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 06.07.1975 को अपने नाम करा लिया। उक्त अनाधिकृत आदेश को उपखण्ड अधिकारी घाटोल द्वारा अपील संख्या 4/2006 दिनांक 28.04.2014 को	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त कर दिया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 9 से 15 के पूर्वज श्री हिरजी पिता गुलाब सुथार ने सर्वे नंबर 67 व 69, 611, 650, 660, 701 को धारा 19 के अन्तर्गत दिनांक 03.07.1975 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 06.07.1975 से नामान्तरकरण करवा लिया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 16 से 20 के पूर्वज धुलजी पिता गौतम सुथार ने सर्वे नंबर 46 व 57, 60–61 को नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 06.07.1975 तथा प्रतिवादी संख्या 21 से 24 के पूर्वज श्री लीलाराम पिता रघु सुथार ने सर्वे नंबर 162 के खातेदारी हक प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 06.07.1975 को अपने नाम करा लिया।

उक्त सभी खातेदारों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार घाटोल को झूठी एवं भ्रमित जानकारी देकर दिनांक 03.07.1975 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर विभिन्न नामान्तरणों से अपने नाम कर ली। वादी ने धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील संख्या 4/2006 दायर की, जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी घाटोल ने दिनांक 28.04.2014 को निर्णय पारित करते हुए उक्त नामान्तकरण संख्या 21 से 25 को निरस्त कर दिये। तब से प्रतिवादी संख्या 1 से 24 तक तहसीलदार घाटोल के आदेश दिनांक 0307.1975 का सहारा लेकर वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 24 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वर्ष 1975 के पूर्व पारिवारिक बंटवारे से इंकार किया तथा वादी को केसर बाई का पुत्र नहीं होना बताते हुए हीरालाल का पुत्र बताया। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि प्रकरण संख्या 4/2006 में पारित निर्णय के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिक माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि वादी के पिता हीरालाल के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रकरण संख्या 66/1975 निर्णय दिनांक 09.12.1980, प्रकरण संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

65/1975 निर्णय दिनांक 05.01.1981 तथा प्रकरण संख्या 68/1975 निर्णय दिनांक 05.01.1981 में वादी पक्षकार था। इस वाद की विषय वस्तु जो प्रत्यक्षतः एवं सारतः उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले पक्षकारों के बीच में विनिश्चित किया जा चुका है। इस कारण सी.पी. सी. की धारा 11 के प्रांग न्याय के सिद्धान्त के अनुसार वादी का वाद पोषणीय नहीं है। वादी का विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं होकर कब्जा प्रतिवादीगण का है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 7 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 17.03.2021 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 14.06.2021 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं अपीलान्टगण की ओर से भी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो शामिल पत्रावली की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 04.02.2021 को हुए, जिसकी अपील तैयार की गयी, परन्तु दिनांक 17.04.2021 के पश्चात् लॉक डाउन हो जाने से अपील विहित अवधि में पेश नहीं की जा सकी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.03.2021 की जानकारी होने के बावजूद अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गयी है। लॉक डाउन में अपील विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई उचित व पर्याप्त [illegible] नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 17.03.2021 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील समयावधि में न्यायालय हाजा में दिनांक 16.05.2021 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु अपील दिनांक 14.06.2021 को प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब एक माह का विलम्ब हुआ है, जिसे कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में अंकित किया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट के वाद का अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी केसरबाई का पुत्र नहीं होकर हीरालाल का पुत्र है तथा उसका विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं है, बल्कि कब्जा अपीलान्टगण का होकर जमाबन्दी व खसरा गिरदावरियों में उनका नाम अंकित है। वादग्रस्त आराजियात राजस्व अभिलेखों में स्वर्गीय माणकलाल, स्वर्गीय नारायण, स्वर्गीय हिरा उर्फ हीराजी, स्वर्गीय धूलजी, स्वर्गीय लीलाराम के नाम दर्ज थी, जो विरासत से उनके उत्तराधिकारियों के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुई हैं। प्रकरण संख्या 6/1975 पुर्न संख्या 4/2006 की पालना भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगित कर दी गयी है तथा वर्तमान में प्रतिवादी/अपीलान्टगण खातेदार कृषक हैं। वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद मियाद बाहर है, क्योंकि वादी दिनांक 28.07.1975 से 28.07.2014 तक की अवधि का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण संख्या 65/1975, 66/1975, 67/1975 होकर उक्त प्रकरण में दिनांक 29.12.1980, 05.01.1981 व 07.05.1981 को निर्णय व डिक्री पारित कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जिसके विरूद्ध वादी/रेस्पोन्डेन्ट या श्रीमती केसर बाई अथवा अन्य किसी द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गयी है, जिससे उक्त डिक्री अंतिमतम होकर बाध्यकारी हो चुकी है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद चलने योग्य ही नही है तथा धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

11 सी.पी.सी. प्रांगन्याय के सिद्धान्त से वादी का वाद बाधित होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का साक्ष्यों अनुसार विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2011 (2) Page 1170, RRT 2011-12 (Supp.) Page 258, RRT 2014 (1) Page 376, RRD 2003 Page 223, RRD 1989 Page 527, RRD 1989 Page 551, RRD 1992 Page 114, RRD 1992 Page 298, RRD 1993 Page 504, RBJ 2019 Page 699, RBJ 2020 Page 723, RRT 2016 (2) Page 1364 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट ने लिखित बहस में अंकित किया कि विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट/वादी लक्ष्मीकान्त के पूर्वज श्री हीरालाल व श्रीमती केसर बाई के संयुक्त खातेदारी की है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रतिवादी/अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी को शिकमी काश्त पर दे रखी थी, जिस भूमि की तहसीलदार घाटोल द्वारा जुलाई 1975 में अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी को खातेदार अधिकार प्रदान करते हुए उनके नाम नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट/वादी के पूर्वज श्री हीरालाल एवं श्रीमती केसर बाई ने अपील संख्या 6/75 उपखण्ड अधिकारी घाटोल के समक्ष प्रस्तुत की तथा उक्त अपील संख्या 6/75 के विरूद्ध केसर बाई व हीरालाल ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण लौटाने पर अपील संख्या 4/2006 में उक्त कार्यवाही में विचारण काल में श्रीमती केसर बाई की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस के रूप में वादी लक्ष्मीकान्त पिता हीरालाल को वारिस नियुक्त किया है तथा दिनांक 28.04.2014 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण के पूर्वजों के हित में खातेदारी अधिकार/नामान्तरकरण निरस्त कर दिये, जिसके पश्चात वादी ने नया वाद धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट/वादी के हक में उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन हुए पारित की है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

विधि सम्मत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अधिकारिता सहायक कलक्टर को है, तहसीलदार को उक्त धारा के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसाकि न्यायिक नजीर RRD 2004 Page 316 में प्रतिपादित किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 2004 Page 316, RRD 2004 Page 35, RRD 2001 Page 178, AIR 2012 (SC) Page 1769 प्रस्तुत की।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में साबिक आराजियात कुल किता 101 रकबा 115 बीघा 19 बिस्वा भूमि हीरालाल पिता कचरू एवं केसरबाई बेवा शंकरलाल ब्राहमण के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक आराजी नंबर के हाल आराजी नंबर जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 2 में किया गया है, बनना प्रकट होता है, जो प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 में रेस्पोन्डेन्ट/वादी के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण शिकमी काश्तकार होने के आधार पर उक्त आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 21 से 25 दिनांक 06.07.1995 को प्रतिवादीगण के नाम स्वीकृत होकर जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रतिवादीगण का नाम अंकित हुआ है, जो प्रदर्श ए. 5 से ए. 9 से स्पष्ट है, किन्तु उक्त नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु हीरालाल व केसरबाई जो अपीलान्ट/वादी की माता है, के द्वारा उपखण्ड अधिकारी घाटोल में समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो जिसके प्रकरण संख्या 4/2006 होकर निर्णय दिनांक 28.04.2014 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त निर्णय दिनांक 28.04.2014 के विरूद्ध हाल अपीलान्टगण द्वारा हीरालाल व केसरबाई के वारिसान के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त निर्णय की पालना रोके जाने तथा मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर माननीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 02.06.2014 को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जिसके प्रकरण संख्या 2886/2014 होकर वर्तमान में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में उक्त समस्त तथ्यों पर तनकीवार विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की है, जो प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 28/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री 17.03.2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested